भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 961
13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारिताओं के संबंध में वर्गीकृत डेटा रखना

961. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सहकारी आधारित श्रेणियों के वर्गीकृत आंकड़े उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर रखने के लिए कोई प्रणाली विकसित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या सरकार की विभिन्न सहकारी श्रेणियों के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ समूह गठित करने की कोई योजना है। ताकि उनके वर्तमान कार्य-निष्पादन का आकलन किया जा सके और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाए जा सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत कोई नया प्रभावी मॉडल तैयार किया है ताकि इसके माध्यम से आम लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): सहकारिता मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, एनसीयूआई एवं राष्ट्रीय संघों और सांविधिक निकायों जैसे नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, आदि की सक्रिय भागीदारी से पूरे देश में सभी सेक्टर में काम कर रही सहकारी समितियों का प्रामाणिक और अद्यतन डेटा संग्रहण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रस्तावित डेटाबेस देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को सुविधा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस के विकास के पहले चरण में, तीन सेक्टरों यानी पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन की सहकारी समितियों का डेटा संग्रह किया जा रहा है।

(ख): जी नहीं ।

(ग): जी हां । सहकारिता मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए हैं। ये मॉडल उप-नियम PACS को ग्राम/पंचायत स्तर पर एक बहुउद्देशीय जीवंत आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाएंगे और डेयरी, मत्स्य पालन, एलपीजी/पेट्रोल/डीजल डीलरशिप एजेंसी, बैंकिंग संवाददाता, सामान्य सेवा केंद्र, आदि सहित 25 से अधिक गतिविधियां शुरू करेंगे। यह प्राथमिक ऋण समितियों के सदस्यों की मदद करेगा।

*****